

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना 285/24

पिन्टू कुमार आदि बनाम लोकेश बौराह

किस्म मुकदमा .किस्म मुकदमा दावा 53. 188 आरटी एक्ट नं सन

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

06.12.2024 दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड/साधारण से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.01.25 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
धरम (भरतपुर) राज

23/1/25 पंड-वाडी उपाधी उपाधी उपाधी पत्रावली दिनांक 23.01.25 को पेश हों।
पुनः नवमी हेतु नवमीगण पत्रावली दिनांक 23.01.25 को पेश हों।
की नवमी हेतु नवमीगण पत्रावली दिनांक 23.01.25 को पेश हों।

8/1/25 पीठासीन अधिकारी को पेश हों।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/1/25 को पेश हों।
रीडर
ओ/एस.डी.एम

01/1/25 पंड-वाडी उपाधी पंड-वाडी उपाधी पत्रावली दिनांक 01/1/25 को पेश हों।
पुनः नवमीगण पत्रावली दिनांक 01/1/25 को पेश हों।
नवमीगण पत्रावली दिनांक 01/1/25 को पेश हों।

01/1/25 पीठासीन अधिकारी को पेश हों।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हों।
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

20/1 राजकीय अधिकाय

11/10
75

उत्तराखण्ड में 24 वें अक्टूबर 2011 को एक सभ्यता
दिने पर आपका पत्र आया। उत्तराखण्ड में
650 वार्डों का वजन करीब 2000
उत्तराखण्ड में न्यायालयों का एक ही नाम
आवाज लगावदि गरीबों का आवाज बनाने
की कोशिश करनी चाहिए।

अतः उत्तराखण्ड की सरकार
अपने अधिकारी व कर्मचारी को नियंत्रित
किया जाता है। पत्राचार के अलावा सुधार
के अलावा न्याय के अलावा एक-दूसरे
वास्तविक रूप में है।

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]